न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र सं. 5m/2017 सरजीत सिंह बनाम रूपचंद आदि

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
29.08.17	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/ अपीलांट ने यह प्रा.पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2014 के विरूद्ध अपील पेश करने पर दिनांक 03.02.2015 को 5.05 बीघा भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखने के आदेश दिये गये थे। इस न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बाबजूद अप्रार्थीगण द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए इन्तकाल दर्ज कर दिया। अतः उनके विरूद्ध आदेश की अवमानना मानते हुए आदेश पारित किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र का जबाब पेश किया एवं कथन किया कि उनके समक्ष इस न्यायालय का स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं हुआ।अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की कोई अवमानना नहीं की है। अतः निवेदन है कि प्रा.पत्र खारिज किया जावे। प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी /अपीलांट द्वारा अधी. न्यायालय में दावा एवं प्रा.पत्र 212 आर.टी.ए. प्रा.पत्र पेश किया एवं अपील भी प्रार्थीगण द्वारा पेश कर स्थगन आदेश भी प्राप्त किया था। चूंकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दोनों पक्षों को सुनकर अपील दिनांक 29.08.2017 को खारिज करते हुए आदेश दिनांक 30.12.2014 को यथावत रखा गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा.पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णित प्रा.पत्र नम्बर से कम होकर शामिल मूल अपील रहें। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)	